# कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम मध्यप्रदेश

**Phone No. (07574-254178, 254808)** **E-Mail -dfot.hbd@mp.gov.in**

क्रमांक/मा.चि./ 4270 नर्मदापुरम, दिनांक 06/05/2024

प्रति,

उप मुख्य अभियंता (निर्माण),
मध्य रेल्वे, नागपुर डिवीजन,
बैतूल, मध्य प्रदेश।

विषय :– बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोडरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वनमंडल की 1.2496 हेक्टेयर वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हेक्टेयर कुल 8.0357 हेक्टेयर वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे, नागपुर डिविजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत्। **(FP/MP/RAIL/150074/2021)**

संदर्भ :– 1. भारत सरकार का पत्र क्रमांक/6–एमपीआर 027/2023– बीएचओ दिनांक 09.02.2024 ।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/1211/2022/10–11/2344 दिनांक 01.05.2024।
3. उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल्वे, नागपुर डिवीजन, बैतूल, म0प्र0 का पत्र क्रमांक/ ET-NGP/3rd Line/Forest-5 Date 29-04-2024.

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोडरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वनमंडल की 1.2496 हेक्टेयर वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हेक्टेयर कुल 8.0357 हेक्टेयर वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे, नागपुर डिविजन बैतूल को उपयोग पर देने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व 04 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई हैं।

आपके संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्तानुसार 04 बिन्दुओं की बिन्दुवार जानकारी इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी के अनुरूप पूर्ति नही की गई है न ही चाहे गये अभिलेख संलग्न किये है।

भारत सरकार द्वारा बिन्दु क्र 03 एवं 04 में वाईल्डलाईफ इन्सटिट्यूट ऑफ इण्डिया (WII) की गाईडलाईन के अनुसार वन्यप्राणियों के आवागमन हेतु मिटिगेशन मेजर्स प्रस्तावित करने हेतु निर्देशित किया गया है। दिनांक 25.04.2024 को साईट इंसपेक्शन में लिये गये निर्णय अनुसार जिन क्षेत्रों में वन्यप्राणियों का आवागमन है उन्हें चिन्हित कर उन स्थलों पर वाईल्डलाईफ इन्सटिट्यूट ऑफ इण्डिया की गाईडलाईन के अनुसार संरचनाओं का निर्माण 3rd रेल्वे लाईन के निर्माण के दौरान कराया जाना प्रस्तावित है। अतः अधिनस्थ अधिकारियों को स्थलों का चयन करने के लिये वन विभाग के साथ निरीक्षण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। अतः परिवेश पोर्टल पर प्रस्ताव वापस आपकी ओर भेजा जा रहा है। कृपया बिंदुओं की पूर्णतः पूर्ति कर आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में विलंब न हो।

वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम

पृ./क्र./मा.चि./ 4271 नर्मदापुरम, दिनांक 06/05 /2024

प्रतिलिपि :–1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनसंरक्षक नर्मदापुरम वृत्त नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम

पृ./क्र./मा.चि./ 4272 नर्मदापुरम, दिनांक 06 /05 /2024

प्रतिलिपि :—1. उप वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि वाईल्डलाईफ इन्सटिट्यूट ऑफ इण्डिया (WII) की गाईडलाईन की प्रति आपकी ओर संलग्न कर भेजी जा रही है। दिनांक 25.04.2024 को साईट इंसपेक्शन में लिये गये निर्णय अनुसार जिन क्षेत्रों में वन्यप्राणियों का आवागमन है उन्हें चिन्हित कर उन स्थलों पर वाईल्डलाईफ इन्सटिट्यूट ऑफ इण्डिया की गाईडलाईन के अनुसार संरचनाओं का निर्माण 3rd रेल्वे लाईन के निर्माण के दौरान कराया जाना प्रस्तावित है। अतः रेल्वे विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर गाईडलाईन के अनुसार संरचनाओ के निर्माण हेतु स्थल चयन कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. परिक्षेत्र अधिकारी इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख कि उप वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम के निर्देशन में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

**संलग्न**—उपरोक्तानुसार गाईडलाईन।

वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम